कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ 4(3)08–09 / वउ / प्रमुवसं / **249** दिनांक **01.02.2010**

कार्यालय आदेश

राज्यादेश संख्या एफ12(24)वन / 08 दिनांक 22.6.09 द्वारा वन विभाग में सभागीय प्रणाली लागू किये जाने के परिणामस्वरूप इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश संख्या 9994–10027 दिनांक 21.12.04 से तेन्दू पत्ता इकाईयो के व्ययन हेतु निविदाए खोलने, उनका नियमानुसार परीक्षण कर टिप्पणी देने, तुलनात्मक मानचित्र तैयार करने तथा अपनी अभिशंषा करने हेतु गठित स्थाई कमेटी में अब निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

1. मुख्य वन संरक्षक (संबंधित संभाग)
2. उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी (संबंधित वन मण्डल)
3. वित्तीय सलाहकार द्वारा मनोनीत मुख्य वन संरक्षक कार्यालय तथा उनके अधिनस्थ कार्यालयों मे पदस्थापित उच्चतमस्तर के लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार

उक्त कमेटी द्वारा तद्परान्त टेंडरों को आवश्यक कार्यवाही हेतु बिक्री एवं व्ययन समिति को प्रस्तुत किये जावेगें जो अपनी सिफारिश सहित उसे अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करेंगे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान,जयपुर।

क्रमांकः–एफ 4(3)08–09 / वउ / प्रमुवसं / **250–76** दिनांक **01.02.2010**

प्रतिलिपि निम्नांकित को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 9994–10027 दिनांक 21.12.04 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन), राजस्थान जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर / जोधपुर / कोटा / जयपुर / भरतपुर / अजमेर / तेन्दू पत्ता, जयपुर।
5. निदेशक निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय प्रधान मुख्य संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
7. मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक, कोटा / बूंदी / बारां, / झालावाड / बांसवाडा / उदयपुर(द0) / उदयपुर(म0) / डूंगरपुर / सिरोही / प्रतापगढ / जोधपुर / चित्तौडगढ / भीलवाडा / अलवर / धौलपुर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान,जयपुर।